(30)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

बैठक संख्या -३०

दिनांकः २६-०२-२०००

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

हरिद्वार

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

१ श्री रामकृष्ण प्रसाद, संयुक्त सचिव आवास उ०प्र० शासन लखनऊ। सचिव, आवास के नामित सदस्य
२ संयुक्त निदेशक कोषागार, मेरठ सचिव वित्त के नामित सदस्य
३ सचिव, उत्तरांचल विभाग, उ०प्र शासन –लखनऊ।
४ जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
५ जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।
६ वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग मु० न० एवं ग्राम्य नियोजक के
–७ बन्दरीया बाग, उ०प्र० शासन लखनऊ नामित सदस्य
७ अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल प्रबन्ध निदेशक,उ०प्र० जल
उ०प्र० जल निगम सहारनपुर निगम के नामित सदस्य
८ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, हरिद्वार।
९ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
१० अध्यक्ष, नगर पंचायत रानीपुर–हरिद्वार।
११ अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल।
१२ श्रीमती उषा भारद्वाज, कृष्णा नगर कनखल। गैर सरकारी नामित सदस्य

पत्रांक 3412/प्रशा०२(ग)–।–६/९९ दिनांक 23 फरवरी २०००

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की ३० वीं बोर्ड बैठक परिचालन विधि से ।

महोदय,

शासनादेश संख्या–५६६/आ०ब/शासनादेश संकलन/९९ दिनांक ३०–१२–९९ द्वारा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,१९९९ का आदेश प्रारूप इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि आवश्यक परिष्कारों सहित परिचालन विधि से अंगीकृत कर लिया जराय। अतः उक्त शासनादेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, १९९९(आदेश प्रारूप) का प्रस्ताव स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संलग्न परिष्कारो सहित प्राधिकरण के समक्ष परिचालन विधि के माध्यम से विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय,

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार।

Scanned by CamScanner

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999

आदर्श प्रारूप का अंगीकरण

(81)

शासनादेश सं0-566/आ0ब0/शासनादेश संकलन/99 दि0 30-12-99 द्वारा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 का आदर्श प्रारूप इस निर्देश के साथ प्राप्त हुए हैं कि इसे आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकृत कर शासन को सूचित किया जाये। शासन द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि इस आदर्श प्रारूप को परिचालन द्वारा अंगीकृत किए जाने की कार्यवाही की जाए ।

हरिद्वार की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के अनुरूप जिसके एक ओर गंगा नदी तथा दूसरी ओर शिवालिक पर्वत ऋृंखला है के मध्य संकरी पट्टी के रूप में बहुत सीमित भूमि विकास के लिए उपलब्ध है। हरिद्वार के धार्मिक स्वरूप के कारण यहाँ धार्मिक भवन यथा आश्रम आदि अधिक बनते हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण विकास क्षेत्र का कुछ भाग पर्वतीय भू-भाग के रूप में विद्यमान है, जहाँ कि भवन निर्माण की अपेक्षाएँ मैदानी क्षेत्रों की तुलना में भिन्न होती हैं। अत : पर्यावरण अनुरक्षा की दृष्टि से इन क्षेत्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप विशिष्ट प्राविधान आवश्यक होंगे। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण विकास क्षेत्र में प्रत्येक छः वर्ष के अन्तराल के पश्चात अर्धकुम्भ/कुम्भ मेला लगता है। अतः मेला क्षेत्र की परिरक्षा भी अनिवार्य है। प्राधिकरण विकास क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भूकम्प क्षेत्र में अवस्थित है। इन सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भवन उपविधियों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संलग्न परिष्कार प्रस्तावित है। यह उपविधियाँ प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर अंगीकृत किए जाने की तिथि से जमा होने वाले मानचित्रों पर लागू की जायेगी । तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है।

सचिव
ह0वि0प्रा0
हरिद्वार

अध्यक्ष
नगर पंचायत
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल

स्नेहलता शर्मा
अध्यक्षा
नगर पालिका ... दिकेश

उपाध्यक्ष
ह0वि0प्रा0

राजकुमार अरोड़ा
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
हरिद्वार

प्रभारी अधिकारी/SDM(H)
नगर पंचायत B.H.E.L.
रानीपुर (जिला हरिद्वार)

सदस्या वि० प्रा० हरिद्वार

उक्त प्रस्ताव परिचालन विधि के माध्यम से अंगीकृत किया गया ।

अध्यक्ष, ह0वि0प्रा0/
आयुक्त, सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

Scanned by CamScanner

शासन द्वारा प्रेषित आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 प्रारूप में हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन

1. अध्याय-1 भाग 1.1.2	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु संलग्नक-1 में अतिरिक्त प्रस्तावित प्राविधान किए गए हैं ।
2. अध्याय-3 भाग 3.1.1(ख) तथा 3.1.3	हरिद्वार विकास प्राधिकरण अन्तर्गत मेला अधिनियम-1938 के अन्तर्गत मेला क्षेत्र में मानचित्रों की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-1925/9-आ-3-97-38 विविध/1997 दि0 3-6-97 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।
3. अध्याय-3 भाग-4	15 मी0 से अधिक के प्राविधान समाप्त किया जाये एवं केवल ऊँचाई सीमा 15 मी0 तक भवनों की अनुज्ञा दी जाये ।
4. अध्याय-3 भाग 3.4.2	टिप्पणी (।) में सैटबैक में छूट आच्छादित क्षेत्रफल 200 वर्ग मी0 तक ही रखा जाये।
5. अध्याय-2 भाग 2.2.3, भाग 3.1.2.1(XI)	लैण्ड स्केपिंग हेतु यह अतिरिक्त प्राविधान भी उपयुक्त होगा " किसी स्थल पर यदि प्रति 10 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में तीन से अधिक वृक्ष हों तो ऐसे स्थल को खुले पार्क स्थल के अनुरूप ही विकसित किया जाये चाहे महायोजना में स्थल का कोई सक्रिय भूउपयोग भी अंकित हो ।"
6. अध्याय-1, भाग 1.2.14 अध्याय-4	धार्मिक भवन यथा आश्रम को 'आवासीय भवन' उपयोग समूह में रखा जाये। धर्मशाला को भी होटल निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जाये ।

स्नेहलता शर्मा
अध्यक्षा
नगर पालिका परिषद ऋषिकेश

सचिव
ह0वि0प्रा0
हरिद्वार

अध्यक्ष
नगर पंचायत
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल

राजकुमार अरोड़ा
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
हरिद्वार

प्रभारी अधिकारी/SDM(N)
नगर पंचायत B.H.E.L.
रानीपुर जिला हरिद्वार)

उपाध्यक्ष
ह0वि0प्रा0

अनारद्राज
सदस्या वि0प्रा0 हरिद्वार

उक्त प्रस्ताव परिचालन विधि के माध्यम से अंगीकृत किया गया

सुभाष कुमार
अध्यक्ष/आयुक्त

Scanned by CamScanner

(89)

संलग्नक-1

हरिद्वार विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र में पर्वतीय भाग में मानचित्रों के निस्तारण हेतु अतिरिक्त प्रतिबन्ध

1. पर्वतीय भाग में जनपद टिहरी व पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत क्षेत्र सम्मिलित होंगे ।
2. अधिकतम तीन तल के भवन अनुमन्य होंगे । बेसमेन्ट भी तल में सम्मिलित होगा ।
3. पहाड़ का स्लोप 45 डिग्री तक ही निर्माण अनुमन्य होगा ।
4. यदि स्थल वेदिकाओं (TERRACES) के रूप में हो तथा वेदिकाओं की [illegible] उर्ध्वाकर दूरी 3.0 मीटर अथवा अधिक हो तो इस स्थिति में अनुमन्य निर्माण केवल स्पिलिट स्वरूप में ही किया जा सकेगा ।
5. ऐसे निर्माणों को अनुमति नहीं दी जायेगी जिनमें निर्माण से नालों के दबने की संभावना हो ।
6. पानी के स्रोतों के ऊपर या किनारे ऐसे निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी जिससे पानी के स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ।
7. भवनों की ऊँचाई की दृष्टि से गंगा नदी के दाहिने तट पर मुनि की रेती पार्किंग क्षेत्र से लक्ष्मण झूला टोल बैरियर तथा गंगा नदी के बांये तट पर परमार्थ निकेतन से प्राधिकरण सीमा तक, इन्क्लोज्ड सम्पूर्ण क्षेत्र में, गंगा नदी की ओर ऐसे निर्माण को अनुमति नहीं दी जायेगी जिसमें भवन का उच्चतम बिन्दु सड़क के तल से नीचे न हो ।
8. पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग विनियमन, स्थल की भौगोलिक स्थिति के आधार पर स्थापित किए जायेंगे ।

सचिव
ह०वि०प्रा०
हरिद्वार

अध्यक्ष
नगर पंचायत
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल

स्नेहलता शर्मा
अध्यक्षा
नगर पालिका परिषद ऋषिकेश

उपाध्यक्ष
ह०वि०प्रा०

राजकुमार अरोड़ा
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
हरिद्वार

प्रभारी अधिकारी/SDM-I
नगर पंचायत B.H.E.L.
रानीपुर जिला हरिद्वार)

उमा भारद्वाज
सदस्या वि० प्रा० हरिद्वार .

उक्त प्रस्ताव परिचालन विधि से मण्डल से अंगीकृत किया गया ।

सुभाष कुमार
अध्यक्ष/आयुक्त

Scanned by CamScanner